

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(8723)आ.कृ./9218-9240

दिनांक : 9/2/2016

**आदेश**

विभागीय आदेश द्वारा निम्नांकित को परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 2 वर्ष के लिये कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। इनकी 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने एवं इनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनकी सेवाये परिविक्षाकाल में संतोषप्रद रहने की रिपोर्ट भिजवाने के फलस्वरूप वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अनुसार इन्हे कृषि पर्यवेक्षक के पद का पुनरिक्षित वेतनमान नियम 2008 (संशोधन दिनांक 28.06.2013) की अनुसूची-5 नियम-22 के अनुसार नियमित रनिंग वेतन बेन्ड 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2400/- तथा नियमानुसार वेतन भत्ते उनके नाम के समक्ष अंकित दिनांक से देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.सं.	नाम	नियुक्ति आदेश एवं दिनांक	कृषि पर्यवेक्षक के पद पर उपस्थिति का दिनांक	मध्यान्ह पूर्व अथवा मध्यान्ह पश्चात	2 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक	देय दिनांक	संबंधित कार्यालय का नाम
1	संतोष कुमारी नाथ	1073-84 दि. 15.05.13	16.05.13	मध्यान्ह पूर्व	15.05.15	16.05.15	सहा.निदे.कृ (वि) केकडी
2	सजंय मीणा	2831-43 दि.02.08.13	27.01.13	मध्यान्ह पूर्व	26.01.15	27.01.15	सहा.निदे.कृ (वि) बारां
3	राजेश यादव	3368-4173 दि.24.01.13	28.01.13	मध्यान्ह पूर्व	27.01.15	28.01.2015	सहा.निदे.कृ (वि) हिण्डौनसिटी
4	गणेश कुमार मालव	3368-4173 दि.24.01.13	30.01.13	मध्यान्ह पूर्व	11.03.15	12.03.15	सहा.निदे.कृ (वि) छबडा
5	अर्चना सिरोहीवाल	8796-8952 दि. 22.02.13	15.03.13	मध्यान्ह पूर्व	14.03.15	15.03.15	सहा.निदे.उद्यान अलवर
6	चन्दा यादव	3368-4173 दि.24.01.13	30.01.13	मध्यान्ह पूर्व	29.10.15	30.10.15	सहा.निदे.कृ (वि) श्रीमाधोपुर
7	सुशीला साल्वी	8796-8952 दि. 22.02.13	04.03.13	मध्यान्ह पूर्व	03.03.15	04.03.15	सहा.निदे.कृ (वि) भीलवाडा
8	मानसिंह मीणा	3368-4173 दि.24.01.13	28.01.13	मध्यान्ह पूर्व	27.01.15	28.01.15	सहा.निदे.कृ (वि) हिण्डौनसिटी

नोट :-

- कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करते समय सुनिश्चित कर लें कि यह स्वीकृति उनकी सिफारिश के आधार पर जारी की जाती है।
- वेतन निर्धारण करने से पूर्व उक्त कृषि पर्यवेक्षकों की उपस्थिति दिनांक का मिलान उनके सेवाभिलेख से कर लें। तदनुसार 2 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक व देय तिथि का मिलान करें तथा सही होने की स्थिति में वेतन निर्धारण करें। इसमें अन्तर पाये जाने पर कृषि आयुक्तालय को अवगत करावें।
- कम संख्या-8 पर अंकित श्री मानसिंह मीणा को आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 9265-70 दिनांक 26.08.15 के अनुसार 1 वर्षीय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड है। श्री मीणा को वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 के स्थान पर 01.07.2017 से स्वीकृत की जावेगी।

(डॉ० जैरज कुमार पवन)  
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट  
शासन सचिव कृषि राज० जयपुर  
दिनांक : 9/2/2016

क्रमांक प.2(3)(ब)(8723)आ.कृ./9218-9240

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- संयुक्त निदेशक उद्यान मुख्यालय जयपुर।
- उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद अजमेर, बारां, करौली, सीकर एवं भीलवाडा।
- सहायक निदेशक कृषि (वि०) केकडी, बारां, हिण्डौनसिटी, छबडा, श्रीमाधोपुर एवं भीलवाडा।
- सहायक निदेशक उद्यान अलवर।
- संबंधित कृषि पर्यवेक्षक.....।
- निजी आरक्षी।

(बी.एल.कुमावत)  
सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)